उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्याः436916/III(1)/2026-99010
देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर, 2026

अधिसूचना

राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने तथा कार्यालय परिसरों में प्रवेश को नियंत्रित करने एवं अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–282/XX–5/26–03(18)/2022 दिनांक–25.02.2026 में निहित "मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)" को लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों में निम्नवत् लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(1) कार्यालय परिसर में प्रवेश व्यवस्थाः–

(क) प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका/इलैक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा जायेगा।

(ख) बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ग) प्रत्येक आगन्तुक का नाम, पता/मोबाइल नम्बर, आगमन एवं प्रस्थान का समय तथा सम्बन्धित अधिकारी का विवरण आगन्तुक पंजिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) व्यवहार सम्बन्धी निर्देशः–कार्यालय परिसर में निम्नलिखित व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिसका सूचना पट्ट प्रत्येक कार्यालय के बाहर प्रमुखता से लगाया जायेगा–

(क) कार्यालय परिसर में मादक पदार्थ पूर्णतः वर्जित होगा।

(ख) सरकारी कार्य में बाधा डालने पर सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी।

(ग) एक कक्ष में एक बार में 02 से अधिक आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है।

(घ) किसी भी प्रकार का शोर–शराबा, नारेबाजी या अमर्यादित व्यवहार कार्यालय परिसर में पूर्णतः वर्जित है।

(ङ) कार्यालय परिसर पूर्णतः सी०सी०टी०वी० से आच्छादित है। आपका अमर्यादित व्यवहार आपको कानूनी रूप से दण्ड का भागीदार बना सकता है।

(च) कार्यालय के भीतर ज्वलनशील पदार्थ, स्याही, लाठी–डंडा, हथियार या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

(छ) कार्यालय समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्यालय परिसर के भीतर प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

(3) सुरक्षा उपकरणः–प्रत्येक कार्यालय में एच०डी० सी०सी०टी०वी० कैमरा (90 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता सहित) डी०एफ०एम०डी० तथा प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में पैनिक बटन लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

(4) नोडल अधिकारीः–

(क) प्रत्येक कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

(ख) कार्यालय परिसर में घटित किसी भी सुरक्षा सम्बन्धी घटना की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को दी जायेगी तथा घटना का विवरण पृथक घटना पंजिका में दर्ज किया जायेगा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Pandey
Date: 30-09-2026 12:42:43

भवदीय,
(पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।



File No. PWD1-EST/7/2026-III-1-Public Works Department (Computer No. 99010)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO PWD Section 1 RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 30/09/2026 04:46 pm

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamS